मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड

(म.प्र.शासन का उपक्रम)

''ऊर्जा भवन'' मुख्य मार्ग क.–02, शिवाजी नगर, भोपाल (म.प्र.)

फैक्स–0755.2553122 दूरभाष : 0755.2553595, 2767270, 2556245

क्रमांक–F-UVN/2020/EST-02/169/4587 **भोपाल, दिनांक** **09.03.2021**

//विज्ञप्ति//

मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लि0, में सहायक यंत्री, प्रशासकीय अधिकारी, सहायक प्रशासकीय अधिकारी एवं लेखा सहायक के पद पर, म.प्र.शासन के विभागों/मंडलों/निगमों में कार्यरत अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति के आधार पर पदस्थापना हेतु, अर्हताधारी अभ्यार्थियों से आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में उचित माध्यम से अंतिम तिथि 30.03.2021 कार्यालयीन समय तक आमंत्रित किए जाते हैं। विस्तृत विवरण निगम की वेबसाईट www.mprenewable.nic.in पर उपलब्ध है। प्रबंध संचालक, म.प्र.ऊर्जा विकास निगम लि0 को विज्ञापन निरस्त/संशोधन करने, चयन प्रकिया अवधि आदि शर्तों में संशोधन करने का संपूर्ण अधिकार होगा।

प्रबंध संचालक

मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड

''ऊर्जा भवन'' मुख्यमार्ग क0 2, शिवाजी नगर भोपाल (म.प्र.)
फेक्स : 0755-2553122 दूरभाष : 0755 - 2553595, 2767270, 2556245

क्रमांक–F-UVN/2020/EST-02/169/4587 **भोपाल, दिनांक 09.03.2021**

//विस्तृत विज्ञप्ति//

मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लि0, भोपाल में निम्न तालिका में उल्लेखित, विभिन्न पदों पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर पदस्थापना हेतु, अर्हताधारी अभ्यार्थियों से आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन पत्र एवं अन्य विवरण, निगम की वेब–साइट www.mprenewable.nic.in पर उपलब्ध हैं।

क्र.	पदनाम	न्यूनतम वेतनमान	अधिकतम आयु सीमा	न्यूनतम आर्हताएं	अनुभव	अनुमानित पद संख्या	पद स्थापना
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	सहायक यंत्री	15600–39100	58 वर्ष	अभियांत्रिकी स्नातक (इलेक्ट्रीकल)	म.प्र.शासन के विभागों/ मंडलों/निगमों में 08 वर्ष फील्ड के कार्य का अनुभव हो।	11	प्रधान कार्यालय/ जिला कार्यालयों के फील्ड कार्यो हेतु
2.	प्रशासकीय अधिकारी	15600–39100	58 वर्ष	स्नातक (व्यावसायिक प्रशासन में स्नाकोत्तर को वरीयता)	म.प्र.शासन के विभागों/ मंडल/ निगमों के प्रथम श्रेणी के अधिकारी जिन्हें प्रशासन/स्थापना/विधान सभा/विधिक एवं सतर्कता प्रकोष्ठ आदि में 10 वर्ष का कार्यानुभव ।	01	प्रधान कार्यालय
3.	सहायक प्रशासकीय अधिकारी	15600–39100	58 वर्ष	स्नातक	म.प्र.शासन के विभागों/ मंडलों/निगमों के द्वितीय श्रेणी के अधिकारी जिन्हें प्रशासन/स्थापना/ विधानसभा/विधिक एवं सतर्कता प्रकोष्ठ आदि में 08 वर्ष का कार्यानुभव हो।	01	प्रधान कार्यालय
4.	लेखा सहायक	9300–34800	58 वर्ष	बी. कॉम	म.प्र.शासन के विभागों/ मंडलों/ निगमों के तृतीय श्रेणी कर्मी के लेखा कार्य का 05 वर्ष का अनुभव हो।	04	प्रधान कार्यालय/ जिलों के कार्यालयों हेतु।

आवेदन (ऑन लाईन/ऑफ लाईन) जमा करने की अंतिम तिथि 30.03.2021 कार्यालयीन समय तक है। इच्छुक अभ्यार्थी प्रतिनियुक्ति हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र उचित माध्यम से प्रस्तुत करने एवं आवेदन की एक अग्रिम प्रति, म.प्र. ऊर्जा विकास निगम लि0, ऊर्जा भवन, लिंक रोड क्रमांक–02, शिवाजी नगर, भोपाल, म.प्र. के पते पर भेजेंगे।

प्रबंध संचालक, म.प्र. ऊर्जा विकास निगम लि. को विज्ञापन निरस्त/संशोधन करने, चयन प्रक्रिया अवधि आदि शर्तों में संशोधन करने का संपूर्ण अधिकार होगा।

प्रबंध संचालक

मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड

''ऊर्जा भवन'' मुख्यमार्ग क0 2, शिवाजी नगर भोपाल (म.प्र.)

फेक्स : 0755-2553122 दूरभाष : 0755 - 2553595, 2767270, 2556245

प्रतिनियुक्ति हेतु आवेदन पत्र

1. आवेदनकर्ता का नाम मय पता एवं मोबाईल नम्बर–..

2. वर्तमान में पदस्थापना–..

3. वेतनमान जिस पर पदस्थ हैं–..

4. मूल विभाग का नाम–..

5. प्रतिनियुक्ति हेतु पदनाम–..

6. आयु (01.04.2021 की स्थिति में)–..

7. अर्हता–..

8. अनुभव (जिस पद के लिए आवेदन किया है)–..

प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा उपरोक्तानुसार जो जानकारी दी गई है वह पूर्ण रूप से होश–हवाश मे दी गई है एवं सत्य है।

दिनांक

आवेदनकर्ता का नाम, हस्ताक्षर मय पता

प्रतिनियुक्ति हेतु चयन की शर्तेंः–

उपरोक्त समस्त पदों की पूर्ति हेतु प्राप्त आवेदनों में योग्य/न्यूनतम योग्यताधारी अभ्यार्थीयों को निगम द्वारा गठित चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के उपरांत उपयुक्त पाए जाने पर उनके मूल विभाग से सेवाकाल के अंतिम पांच वर्षों की गोपनीय प्रतिवेदन की ग्रेडिंग एवं विभागीय जांच इत्यादि की जानकारी प्राप्त की जावेगी। मूल विभाग से प्राप्त गोपनीय प्रतिवेदन की ग्रेडिंग में कम से कम तीन वर्षों में 'क' एवं इससे उच्च तथा एक भी वर्ष में 'घ' न हो, के अनुरूप होना चाहिए।

2. अभ्यार्थियों के विरूद्ध कोई भी विभागीय जांच संस्थित ना हो लोकायुक्त/आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो में प्रकरण पंजीबद्ध ना हो विजिलेंस इन्कवायरी एवं न्यायालय में आपराधिक प्रकरण में चालान प्रस्तुत नहीं होना चाहिए। यदि अभ्यार्थियों के विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित होगी तथा लोकायुक्त/आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो में प्रकरण पंजीबद्ध पाया जाता है तथा विजिलेंस इन्कवायरी, न्यायालय में चालान प्रस्तुत होने आदि की जानकारी प्राप्त होने पर उनका चयन निरस्त कर दिया जाएगा।

3. प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ अधिकारियों को मूल विभाग में प्राप्त हो रहा वेतनमान देय होगा अर्थात अलग से वेतन निर्धारण नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अन्य भत्ते जो कि मूल विभाग में प्राप्त हो रहे हैं परंतु म.प्र.शासन में लागू नहीं हैं, के संदर्भ में सामान्य प्रशासन विभाग के प्रतिनियुक्ति नियम इत्यादि लागू होंगे। प्रतिनियुक्ति अवधि हेतु भी म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के नियम लागू होंगे।

4. साक्षात्कार हेतु पात्र अभ्यार्थियों की सूची निगम की वेब–साईट www.mprenewable.nic.in पर अपलोड की जावेगी एवं आवेदन में अंकित मोबाईल नंबर पर सूचना दूरभाष/मैसेज के माध्यम से दी जावेगी। अतः आवेदन पत्र में अपना वर्तमान चलित मोबाईल नंबर दिया जावे।

5. आवेदन पत्र में वांछित सभी अभिलेखों की सत्यापित प्रति संलग्न किया जाना आवश्यक है एवं साक्षात्कार के समय मूल दस्तावेज़ सत्यापन हेतु प्रस्तुत किया जावे।

6. अर्हताएं एवं आयु सीमा तथा अनुभव इत्यादि के संबंध में वर्षों की गणना विज्ञापन जारी होने के दिनांक से की जावेगी।

7. आवेदन पत्र में वांछित सभी अभिलेखों की सत्यापित प्रति संलग्न किया जाना आवश्यक है।

8. विज्ञप्ति में प्रस्तावित पद संख्या अनुमानित है, भविष्य में सेवानिवृत्त/मूल विभाग वापसी इत्यादि अन्य कारणों से पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है। उपलब्ध पद संख्या अनुसार अभ्यार्थियों को मेरिट के आधार पर चयन सूची में रखा जाएगा। चयन सूची की वैधता अवधि एक वर्ष होगी।

9. इच्छुक अभ्यार्थी प्रतिनियुक्ति हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र उचित माध्यम से प्रस्तुत करने एवं आवेदन की एक अग्रिम प्रति, म.प्र. ऊर्जा विकास निगम लि0, ऊर्जा भवन, लिंक रोड क्रमांक–02, शिवाजी नगर, भोपाल, म.प्र. के पते पर भेजेंगे। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 30.03.2021 कार्यालयीन समय तक है।

10. प्रतिनियुक्ति पर लिये जाने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को विभाग के प्रशासकीय अनुमोदन/आवश्यक अनुमोदन से रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लि./कार्यालय आयुक्त, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा के कार्यों से संबंधित पदस्थापना सौंपी जा सकेगी।

11. प्रबंध संचालक, म.प्र. ऊर्जा विकास निगम लि. को विज्ञापन निरस्त/ संशोधन करने, चयन प्रक्रिया अवधि आदि शर्तों में संशोधन करने का संपूर्ण अधिकार होगा।

प्रबंध संचालक
मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लि0
प्रधान कार्याल